

-आदेश-

मुख्यालय के आदेश संख्या-स्था-1-महिला सुरक्षा समिति/2023-24/3105/राज्य कर दिनांक 21.11.2023 द्वारा "महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिंग उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013" के प्राविधाने के अनुपालन में अधिनियम की धारा-4 के अनुसार "आन्तरिक परिवाद समिति" का गठन किया गया था। गठित समिति के कतिपय सदस्यों का स्थानान्तरण मुख्यालय से अन्यत्र हो जाने के फलस्वरूप उक्त समिति का निम्नानुसार पुर्नगठन किया जाता है:-

1	श्रीमती आरती कुमारी, संयुक्त आयुक्त (संग्रह), राज्य कर, मुख्यालय मो0नं0-9794185562	अध्यक्ष
2	श्रीमती अल्का श्रीवास्तव, उपायुक्त (आई0टी0), राज्य कर, मुख्यालय	सदस्य
3	श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय, उपायुक्त (टी0आर0यू0), राज्य कर, मुख्यालय	सदस्य
4	श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव, सहायक आयुक्त (केन्द्रीय सचल दल), राज्य कर, मुख्यालय	सदस्य
5	सुश्री प्रेम लता पाण्डेय, कोऑर्डिनेटर, एंजल विंग्स, 6/16 विपुल खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ मो0नं0-9450956168, 7309798936, 8574615215	सदस्य

उक्त समिति यथा आवश्यकतानुसार बैठकें आहूत करके उक्त अधिनियम में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के संबंध में यथोचित कार्यवाही करेगी।

ह0/-

(डा0 नितिन बंसल)

आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-संयुक्त सचिव, राज्य कर अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासना।
- 2-संयुक्त सचिव महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासना।
- 3-समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों में उक्त कमेटी का गठन कराते हुए इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 4-अपर निदेश, उ0प्र0 राज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, लखनऊ।
- 5-उक्त समिति के समस्त नामित अध्यक्ष/सदस्यों को नाम से।
- 6-समस्त अनुभाग अधिकारी, राज्य कर, मुख्यालय।
- ✓ 7-संयुक्त आयुक्त (आई0टी0), राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट में प्रदर्शित करने हेतु।
- 8-कम्प्यूटर ऑपरेटर (स्थापना राजपत्रित अनुभाग), राज्य कर, मुख्यालय।

जा 4/8/25
(जैस्मिन)

संयुक्त आयुक्त (स्था0राज0)
राज्य कर, मुख्यालय।